भारत की नई शिक्षा नीति-2020 : एक संदर्भ

डॉ. रमेश कुमार

नई शिक्षा नीति अब एक साल पुरानी हो गई है और इसके क्रियान्वयन के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। मोदी द्ववारा बनाई गई यह नीति इक्कीसवीं सदी की पहली और नवीनतम शिक्षा नीति है। इसमें प्राचीन सनातन भारतीय ज्ञान की विरासत और आधुनिक शैक्षणिक पद्धति का एक अनोखा मिश्रण का प्रयास किया गया है। सरकारी दावे के अनुसार इस नीति निर्माण में विविध क्षेत्रों से जुड़े बहुत विद्वानों से विचार-विमर्ष का सहारा लिया गया है। अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिक्षाविदों के अलावा शोध संस्थान के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, पंचायतों से जुड़े आँगनवाड़ी वर्क्स, शिक्षा से जुड़े एन.जी. ओ. और शिक्षामित्रों के जमीनी अनुभव एवं सलाहों को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि शिक्षा नीति से युवाओं को रोजगारोन्मुखी तालीम मातृ, क्षेत्रीय और राष्ट्र भाषा में मिलेगा। यह नीति देश को विश्वगुरु बनने में सहायक होगा। लेकिन शंका व्यक्त किया जाता है बिना पर्याप्त बजट के यह सब शायद संभव नहीं है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार बजट मात्र 3.4 प्रतिशत है, जो की बहुत कम है। पुराना 10+2+3 हो या फिर नया प्रस्तावित 5+3+3+4, चाहे कोठारी की शिक्षा नीति हो या कस्तूरींगन की, बजट तो जरूरी है। इनके अतिरिक्त भी नई शिक्षा नीति से जुड़े अनेक सवाल हैं, जिनका अपेछित विश्लेषण प्रस्तुत करना इस लेख का उद्देश्य है।

शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि

किसी भी नीति पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। सवाल की तो परंपरा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मैकाले और मोंटेसरी की शिक्षा।

रमेश कुमार, ऐसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिषास्त्र व एक्टिंग प्रिंषिपल, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय।

नीति पर भी सवाल उठाए गए थे और वैकल्पिक स्वदेशी शिक्षा नीति पेश की गई थी। समाज सुधारक राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और महात्मा गांधी ने देशी भाषा, बुनियादी तालीम, रोजगारोन्मुखी एवं कौशल केंद्रित शिक्षा का अनुमोदन किया था। स्वतंत्र्योत्तर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद से वर्तमान मानव संशाधन मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक तक समयानुसार शिक्षा नीति बनती रही है कभी कोठारी कमीशन के अनुमोदन पर तो कभी कस्तूरींगन कमीशन के सिफारिश पर। इसके बावजूद हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। सर्व शिक्षा अभियान ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से भी सभी गाँव, गरीब और गांधी के अंतिमजन तक शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाया। प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक में आज भी शिक्षकों और बुनियादी ढाँचों का अभाव है। पिछले करीब दो वर्षों से कोरोना काल में तथाकथित अर्द्ध डिजीटल भारत में आनलाइन मोड़ पर विभिन्न जूम और गूगल जैसे प्लेटफार्म से पठन-पाठन का काम चल रहा है। यह भी समस्याग्रस्त है। परिक्षाएँ भी आनॅलाइन अथवा खुले किताब मोड़ पर डिजिटल माध्यम से संपन्न कराए जा रहें हैं। इसमें नेटवर्क की दिक्कत, लैपटाप, स्मार्ट फोन रखने में आर्थिक असमर्थता इत्यादि भी ऑनलाइन मोड़ की व्यवहारिक परेषानी है। पाठक, परिक्षार्थी, विद्यार्थी अपनी समस्याएँ बयाँ करते रहते हैं और मीडिया में भी चर्चा होती रहती है। लेकिन तब भी सरकार डिजिटल प्लेटफार्म से ई-सामग्री और ई-शिक्षा पर लगातार जोर दे रही है। स्मार्ट क्लासरुम बन रहें है। इसे मानव संशाधन और शिक्षकों का विकल्प या कटोती का जरिया के रूप में भी कुछ लोग देख रहे हैं। अभी एक नया स्वयं का विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव आया है, जिसमें 40 प्रतिशत ऑनलाइन और फिलहाल 60 प्रतिशत ऑफलाइन यानी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। शिक्षक सुमदाय इस प्रस्ताव को टीचिंग के स्टाफ कटौती की पहल के रूप में देख कर इसका पुरजोर विरोध का प्रयास कर रहा है। यह डिजिटल शिक्षा नई शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है और सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति

2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रचलित शिक्षा नीति पर उँगली उठाई जा रही है। भाजपा सरकार बनने पर नई शिक्षा नीति लाने का आगाज साफ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में

भाजपा सरकार बनी और 2018 से इस पर काम शुरू हो गया। मई 2019 में 486 पृष्ठ का ड्राट पेश किया गया और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके पूर्व के 1968 और 1986 की शिक्षा नीति स्वतः निष्प्रभावी हो गया। इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए गए। अब तक चली आ रही 10+2 की जगह 5+3+3+4 को लागू किया गया। इसमें प्री-स्कूलिंग से पाँचवीं कक्षा तक को प्राथमिक यानी प्राइमरी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा के वर्ग में रखा गया है। इस प्राइमरी पाँचवीं को दो भागों यानी 3+2 में बाँट दिया गया। प्रथम तीसरी क्लास तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया गया है और इसपर निगरानी के लिए के एक राष्ट्रीय मिषन का गठन किया गया है। यह प्री-स्कूलिंग है जिसमें 3-6 वर्ष के आयुवर्ग को आँगनवाडी कार्यकर्ता/बालवाटिका/प्री स्कूल के माध्यम से मुत, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना है।'' इसमें प्रारंभिक वाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा'' यानी (Early Childhood Care Education, ECII) की व्यवस्था है। इस अवस्था में शिक्षा बहुस्तरीय खेल पर आधारित गतिविधि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तीसरी क्लास में प्रथम परीक्षा का प्रावधान है, जिस पर इस शिक्षा नीति की कटु आलोचना भी हुई है। चौथे और पाँचवें क्लास में भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय भाषा को पुनः लोकप्रिय बनाने हेतु हिंदी, संस्कृत पाली और प्राकृत को प्रोत्साहित किया गया और इन भाषाओं में अनुवाद के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (Indian Institute of Translation and Interpretation, IITI) की स्थापना की गई है। इस नीति में यह भी प्रस्तावित है कि माध्यमिक शिक्षा यानी आठवीं कक्षा तक भी भाषा की विविधता को बढ़ावा दिया जाए तो भी अनुचित नहीं होगा। इसी माध्यमिक शिक्षा मतलब छठी क्लास से अनुभव आधारित तार्किक चिंतन के विकास पर ध्यान रखा गया है। यही से व्यवसायिक शिक्षा और इंटर्नषिप की शुरुआत करने का भी प्रावधान है। स्कूली शिक्षा से जुड़ी फाउडेशनल, प्रीपेरटरी और मिडिल लेवल के सामग्री तैयार करने का जिम्मा NCERT और SCERT को सौंपा गया है। स्कूल के लिए पाठयक्रम बनाने की जिम्मेवारी National Curricular Framework for School Education पर है। अंतिम स्कूली शिक्षा यानी क्लास नोंवी से दसवीं और 12वीं तक के दौरान छमाही (सेमस्टर) एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित आकलन की बात है। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस साटवेयर के प्रयोग पर भी बल देने का प्रस्ताव है।

2020 की नई शिक्षा नीति एक व्यापक एवं विस्तृत नीति का दस्तावेज है। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा और इनसे जुड़े संस्थानों की रूपरेखा भी प्रस्तुत किया गया है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दिए जाने वाली शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पाठयक्रम को अनिवार्यतः मल्टी-डिसिप्लेनरी बनाना है। अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी विद्यार्थी को दी गई है। इस नीति के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दस साल यानी 2030 तक मल्टी-डिसिप्लेनरी एजेंडा को अपना लेना अनिवार्य है। इसके अलावा डिग्री कार्यक्रम में चॉइस बेस्ट क्रेडिट मोड़ को लागू किया गया है, जिसके अनुसार छात्र स्नातक की पढ़ाई छोड़-छोड़कर कई साल/सेमेस्टर में अपने सुविधा से पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं बैचलर डिग्री को 3-4 साल कर दिया गया है। प्रथम वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा, तीसरे पर डिग्री और चौथे साल के बाद शोध सहित बैचलर डिग्री प्रदान करने का प्रावधान है। पढ़ाई एकमुश्त के बजाय बीच-बीच में जब और जितनी बार चाहे विद्यार्थी छोड़-छोड़ कर बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकता है। इसी को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट पर आधारित चॉइस बेस्ट क्रेडिट मोड़ की संज्ञा दी गई है। इस सिस्टम पर भी कड़े सवाल उठे हैं क्योंकि इससे शिक्षक और छात्र की संख्या ऊपर-नीचे होती रहेगी और शिक्षकों का वर्कलोड घटता-बढता रहेगा। इस अनिश्चितता का शिक्षा की सततता, सतर्कता और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे तदर्थ सहायक शिक्षकों की छटनी के साथ स्थाई शिक्षकों वाली व्यवस्था की अंततः समाप्ति भी हो सकती है। पूरी की पूरी शिक्षा अनुबंधित शिक्षकों के हवाले की जाने की कोशिश लगती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है की इस शिक्षा नीति में अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव भी हैं। प्रतिभावन बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है, जिसे संयुक्त नामांकन परीक्षा (Combined Admission Test) का आयोजन और सफलतापूर्वक संचालन का जिम्मा दिया गया है। इसी परीक्षा मेरिट के आधार पर बैचलर डिग्री कोर्स और स्नातकोत्तर में एडमिशन मिलेगा। एम.फिल. शोध के प्रावधान को पाठयक्रम से हटा दिया गया है। आगे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर होने वाले खर्च से मुक्त होने के लिए गुणवत्ता की सुनिश्चितता के नाम पर सरकार ने NAAC और IQAC बनाए ताकि शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान की जा सके और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को बढ़ावा मिल सके। इसी के साथ-साथ सरकार धीरे-धीरे शिक्षा पर होने वाले खर्च से मुक्त होती चली जाएगी। गरीब स्वतः वंचित हो जाएगा चाहे नीति को समायोजन ओर समावेषी होने का जितना भी सरकारी दस्तावेज में दावा किया जाए। इस राष्ट्रीय

शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी संस्थानों के लिए भी दरवाजे खेल दिए गए हैं और तर्क दिया गया है कि इससे शिक्षा में प्रतियोगिता बढ़ेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। उपरोक्त इन्हीं तथाकथित दावों के साथ शिक्षा नीति 2020 जुलाई में बनी। सभी विश्वविद्यालयों को 25 सितंबर 2020 तक विधिवत रूप से इस शिक्षा नीति को अपना लेने का राजकीय आदेश दे दिया गया। भारत के अधिकतर शिक्षण संस्थानों ने नीति को अपना लिया। अब अपने-अपने तरीके से क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं।

क्रियान्वयन नीति की प्रभावशीलता क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। यह नीति अभी करीब एक वर्ष पुरानी है। कुछ आलोचक इसे उत्तर भारतीय भाषा केंद्रित तो कुछ ने संघ द्वारा निर्देशित भाजपाई सरकार की भगवा शिक्षा नीति बताकर इसकी आलोचना की। जमीयत ऊलमा-ए-हिंद ने तो इस शिक्षा नीति को शिरे से निरस्त कर दिया। अनेक राज्यों खासकर गैर भाजपाई राज्य सरकारों ने असहमति जताई, लेकिन बाद में अमल करने की बात मान ली। केंद्र सरकार ने भी गतिरोध दूर करने की भरपूर कोशिश की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तक ने कहा कि शिक्षा नीति सरकार की नहीं, देश की और देश के लिए है। सभी दल और सकारात्मक सोच के लोग इसके कार्यान्वयन के लिए आगे आकर सहयोग दें और सरकार भी प्रयास कर रही है। उदाहरण के तौर पर केंद्र, राज्य, जिला पंचायत और गैर सरकारी तकनीकी एवं सामान्य सभी शिक्षण संस्थाओं में समन्वय के सरकारी निर्देश की बात हुई। अनेक सलाहकार बोर्ड और समिति बनाए गए। वित्तीय अभाव को दूर या कम करने वास्ते नीजि देशी व विदेशी निवेशकों को निवेश की इजाजत दी गई। इस शिक्षा नीति के अमल की चरणबद्ध वार्षिक समीक्षा केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त समिति करेगी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2030-40 दशक तक यह शिक्षा नीति, 2020 संपूर्ण क्रियान्वयन की अवस्था में होगी और तब एक बार फिर से व्यापक समीक्षा की जाएगी।

निष्कर्ष

खामियाँ सभी नीतियों में होती हैं और इस 2020 की नई शिक्षा नीति में भी स्वभावतः हैं, लेकिन दूर होती जाएगी और हो भी रही है। भारत अभी पूर्णतया डिजिटल सुविधा युक्त देश नहीं है, जितना डिजिटल माध्यम पर इस नीति में जोर दिया जा रहा है। फौनडेशनल से उच्चतर शिक्षा तक में कुछ लचीलेपन और पुनर्विचार की जरूरत है, जो होना चाहिए। अभी तो मुश्किल से आए एक साल हुआ है। इस पर अमल तेजी से हो रहा है। इसके अमल के दौरान यह महसूस हो रहा है कि इसमें मानवीय तत्वों को मिलाकर थोड़ा और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। अभी 2030-40 में लंबा वक्त है और तब तक भारत काफी बदल जाएगा। आशा है तब तक हम इस शिक्षा नीति से काफी आगे निकल जाएँगे और शिक्षा के लिए एक बिलकुल नए प्रकार की नई नीति की उस समय तक जरूरत पड सकती है। इसी उम्मीद के साथ इस शिक्षा नीति को परिस्थितिमूलक परिवर्तन के साथ अपनाएँ और अच्छे परिणाम की प्रतिक्षा करें। यह इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, अंतिम नहीं। आगे सुधार के बहुत अवसर आएँगे और तब सबक के आधार पर सुधार किए जाएँगे।